5/10/24 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षकारान् उपस्थित। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा मूल वाद में तथा प्रार्थना पत्र में जवाब प्रस्तुत किया गया, शामिल मिसल किया गया। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 25/10/2024 को पेश हो।

5/10/24

25/10/24 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी - अप्रार्थी अधिवक्ता उप.। पत्रावली मूलवाद के साथ दिनांक 5/11/2024 को पेश हो।

25/10/24

5/11/24 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी - अप्रार्थी अधि. उप.। पत्रावली मूलवाद के साथ दिनांक 11/11/24 को पेश हो।

5/11/24

11/11/24 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी - अप्रार्थी अधि. उप.। पत्रावली मूलवाद के साथ दिनांक 18/11/24 को पेश हो।

11/11/24

18/11/24 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी उप.। अप्रार्थी अधि. उप.। पत्रावली वास्ते अंतिम बहस हेतु दिनांक 21/11/24 को पेश हो।

18/11/24

21/11/24 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षकारान् अधि. उप.। पत्रावली वास्ते अंतिम बहस हेतु दिनांक 28/11/24 को पेश हो।

21/11/24

28/11/24 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षकारान् उप.। पत्रावली में उभयपक्षकारान् की बहस सुनी गई।

प्रार्थी (पैरोकार सरकार) भूमिधारी तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा पत्र क्रमांक एल./रीडर/2024/1785 दिनांक 27/11/24 से आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी का जवाब मूल वाद में पेश किया जाकर यह स्वीकार किया गया है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी

— लगातार —

~~सहायक कलेक्टर~~ 28/11/24
भीलवाड़ा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/11/24	सरकार v/s अशोक कुमार आधिनियम में वादग्रस्त भूमि ग्राम पुर के खसरा न. 5682 व 5683 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.4553 है- भूमि का नगर विकास न्यास द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90-क तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 के अन्तर्गत समर्पण हो चुका है तथा नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश की पालना में ग्राम पुर के खसरा न- 5682 व 5683 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.4553 है० भूमि नामान्तरण सं. 10586 नि. दिनांक 28/8/2024 से आवासीय प्रयोजनार्थ नगर विकास न्यास के नाम दर्ज हो चुकी है अतः उक्त में भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित हो जाने के कारण कोई कार्यवाही शेष नहीं बची है। अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि चूंकि भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण हो चुका है अतः भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित होने के उपरान्त नगर विकास न्यास के नाम दर्ज हो चुकी है। कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ नगर विकास न्यास के सक्षम प्राधिकारी द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 A के अन्तर्गत आदेश दिनांक 8/8/2024 को पारित किये गये है, तदुपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा —लगातार—	

28/11/24
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

सरकार V/s अशोक कुमार

28/11/24 पारित आदेश के अनुक्रम में वादी/प्रार्थी भूमिधारी, तह[illegible]
भीलवाड़ा द्वारा नामान्तरण सं. 10586 दि. 28/[illegible]
से भूमि नगर विकास न्यास के नाम दर्ज कर दी गई है। [illegible]
भूमिधारी, तहसीलदार तहसील भीलवाड़ा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना[illegible]
अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को [illegible]
किया जावे।

अप्रार्थीगण द्वारा की गई बहस का मनन
चिंतन किया गया तथा पत्रावली में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना[illegible]
अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आदेश नामान्तरण ।। बाबत दीवानी का प्रार्थना
पत्र तथा प्रार्थी द्वारा दिये गये जवाब का अवलोकन किया
गया। साथ ही अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया
गया। अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा की गई बहस के चिंतन एवं
उपरान्त प्रथमदृष्टया यह उचित प्रतीत होता है कि प्रार्थी/वादी भूमि[illegible]
तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा आदेश नामान्तरण ।। बाबत दीवानी के [illegible]
में स्वयं यह स्वीकार किया गया है कि बाद में, वादग्रस्त भूमि बाबा[illegible]
प्रयोजनार्थ नामान्तरित हो जाने से कोई कार्यवाही शेष नहीं बची है
प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना[illegible]
अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को खा[illegible]
किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।
पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल [illegible]
हो तथा नम्बर से कम हो।

[signature] 28/11/24

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा